**भारत सरकार**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 2919**

**12.12.2016 को उत्तर के लिए**

**गोवा में खनन पट्टाधारकों को नोटिस**

**2919. श्री शान्ताराम नायक:**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने खनन पट्टाधारकों को दी गर्इ पर्यावरण संबंधी मंजूरी की वैधता के मुद्दे पर गोवा में इनको नोटिस दिए हैं;

(ख) कितने खनन पट्टाधारकों को नोटिस दिया गया है तथा उन कंपनियों या व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें ये नोटिस दिए गए हैं;

(ग) इन कंपनियों या व्यक्तियों द्वारा क्या रुख, यदि कोर्इ हो, अपनाया गया है;

(घ) कंपनियों द्वारा कब तक उत्तर दिए जाने की अपेक्षा है; और

(ङ) उल्लंघन के मामलों से संबंधित परिणामों का ब्यौरा क्या है तथा ऐसे मामलों में कानून के कौन-कौन से उपबंध लागू होंगे \

**उत्‍तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री अनिल माधव दवे)**

(क) और (ख) जी, हां। गोवा राज्‍य में खनन पट्टों को जारी की गई पर्यावरण संबंधी मंजूरी की वैधता के संबंध में राष्‍ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), पुणे में लंबित शंकर जोग और एएनआर बनाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और अन्‍य द्वारा दाखिल किए गए ओए सं. 144/2016 में, कुल 25 खान पट्टों को नोटिस जारी किया गया है। 25 खनन पट्टों की सूची निम्‍नवत है:-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **पट्टा सं.** | **पट्टाधारक का नाम** |
| 1 | 005/49 | चौगुले एण्‍ड क.प्रा;लि. |
| 2 | 013/49 | चौगुले एण्‍ड क.प्रा;लि. |
| 3 | 098/52 | चौगुले एण्‍ड क.प्रा;लि. |
| 4 | 011/41 | सेसा माईनिंग कॉर्प.लि. |
| 5 | 013/41 | सेसा माईनिंग कॉर्प.लि. |
| 6 | 012/41 | सेसा माईनिंग कॉर्प.लि. |
| 7 | 014/41 | सेसा माईनिंग कॉर्प.लि. |
| 8 | 015/41 | सेसा माईनिंग कॉर्प.लि. |
| 9 | 023/53 | ईएमसीओ गोवा प्रा. लि. |
| 10 | 007/41 | ईएमसीओ गोवा प्रा. लि. |
| 11 | 061/53 | सोसाईडेड टिम्‍बलो इरामोस लि. रिप पांडुरंग टिम्‍बलो इंडस्‍ट्रीस |
| 12 | 087/53 | सोसाईडेड टिम्‍बलो इरामोस लि. रिप पांडुरंग टिम्‍बलो इंडस्‍ट्रीस |
| 13 | 092/52 | सोसाईडेड टिम्‍बलो इरामोस लि. रिप टिम्‍बलो प्रा.लि. |
| 14 | 003/51 | सेसा रिर्सोसेज लिमिटेड |
| 15 | 040/54 | सेसा रिर्सोसेज लिमिटेड |
| 16 | 035/52 | सेसा रिर्सोसेज लिमिटेड |
| 17 | 020/54 | सेसा रिर्सोसेज लिमिटेड |
| 18 | 021/54 | सेसा रिर्सोसेज लिमिटेड |
| 19 | 005/54 | सेसा रिर्सोसेज लिमिटेड |
| 20 | 002/51 | एम.एस. तलाउलीकर |
| 21 | 014/52 | बद्दरूदीन हुसैनभाई मवानी |
| 22 | 045/54 | एसओवीए |
| 23 | 070/51 | आर एस शेट्टी एंड ब्रदर्स |
| 24 | 016/55 | वी जी क्‍वीनम |
| 25 | 063/51 | चंद्रकांत एफ.नाईक (स्‍व.)/राजेश टिम्‍बलो |

(ग), (घ) और (ड.) सीए सं. 2012 के 1247, तलाउलीकर एंड सन्‍स प्राइवेट लि. बनाम भारतीय संघ और अन्‍य में, माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय ने दिनांक 12 जुलाई, 2016 के आदेश द्वारा उल्‍लेख किया कि मंत्रालय के दिनांक 25.11.2005 के आदेश द्वारा परियोजना को प्रदान की गई पर्यावरण मंजूरी दो वर्षों के लिए वैद्य थी। 2 वर्षों की वैधता की यह शर्त, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत परिकल्पित उचित प्रक्रिया का पालन न किये बिना दिनांक 18.10.2007 के आदेश द्वारा लोप कर दी गई थी। माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय ने उपरोक्‍त अवलोकन सहित परियोजना को प्रदान की गई पर्यावरण मंजूरी को रद्द कर दिया था और तीन महीनों के समय में एक नई पर्यावरण मंजूरी प्रदान करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए मंत्रालय को निदेश दिया। मंत्रालय उपरोक्‍त मामले में तदनुसार पर्यावरण मंजूरी के मामले में कार्रवाई कर रहा है।

एनजीटी में दर्ज किए गए मामले में गोवा में अन्‍य 25 मामलों के समान मुद्दे को उठाया गया है। यह मामला अधिकरण के विचाराधीन है।

उल्‍लंघन के मामले में, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत कार्रवाई की जा सकती है और सक्षम प्राधिकरण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत निदेश जारी कर सकता है।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*